STC/CO/PER/IR/02034/2004

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(INDUSTRIAL RELATIONS GROUP)

April 09th, 2018

CIRCULAR NO: IR/06/2018

Ref: Circular No. IR: 39/05 dated 29.11.2005

Sub: Revision of Dormitory Accommodation Charges etc.

In partial modification of above referred Circular and with immediate effect the revised Dormitory Accommodation Charges and other conditions of allotment of dormitory accommodation are as under:

i. Revised charges for dormitory accommodation being utilized by transferee managers and newly appointed managers are as under:-

S.No	CADRE	Current Charges (Per Day)	Proposed Charges Per Day (For first three months)	Proposed charges per day (after 3 months)
(i)	For Managers up to the level of CM where one bed room is shared by two occupants	Rs.10/-	Rs.50/-	Rs. 100/-
(ii)	For Managers from the level of DGM and above occupying one bed room exclusively. (In case they share a room with other occupant due to non – availability, the charges will be the same).	Rs.10/-	Rs.100/-	Rs. 200/-

ii. Dormitory accommodation will be provided to officers on first appointment (subject to availability) for a maximum period of 6 months. After expiry of 6 months the dormitory accommodation will have to be vacated by the officer, failing which, HRA will be deducted from the salary.

iii. Dormitory accommodation will be provided to transferee managers (subject to availability) for a maximum period of 6 months. Beyond 6 months, no dormitory facility will be provided.

iv. In those branches/Sub-branches/offices where STC does not have dormitory facility, the new Appointees/Transferee managers will have to make their own stay arrangements.

v. The existing Dormitory Accommodation on rent (except Kumily and Bodinayakanur) will be surrendered forthwith by giving notice to the landlord as per lease agreement.

vi. No dormitory accommodation will be taken on rent for providing dormitory facility to new Appointees/Transferee Managers.

vii. The existing occupants of dormitory accommodation set up in STC's own residential flats, are given 3 months time from the date of issuance of the Circular to vacate the dormitory, failing which HRA being paid to them shall be discontinued.

viii. The further continuance of the facility of Dormitory Accommodation will be reviewed after 6 months.

2. Other terms and conditions on the subject shall remain unchanged.

3. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Pers.)

By E-mail:

- *Exe. Secy. to CMD*
- *Exe. Secys. to Director/CVO*
- *All CGMs/GMs*
- *Divisional Heads, CO*
- *All Branch Managers*

Copy to

- *JGM(F)(A&E), CO*
- *Notice Board*
- *Website*

एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02034/2004

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
(औद्योगिक संबंध अनुभाग)

09 अप्रैल, 2018

परिपत्र संख्या: औ.सं./06/2018

संदर्भ : परिपत्र संख्या. औ.सं./39/05 दिनांक 29.11.2005

विषय: डॉरमेट्री आवास प्रभारों आदि में संशोधन

ऊपर संदर्भित परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए तत्काल प्रभाव से संशोधित डॉरमेट्री आवास प्रभार तथा डॉरमेट्री आवास आबंटन की अन्य शर्तें निम्नानुसार होंगी:

i. स्थानांतरित प्रबंधकों तथा नव-नियुक्त प्रबंधकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डॉरमेट्री आवास हेतु संशोधित प्रभार निम्नवत् होंगे:

क्रम सं.	कैडर	वर्तमान प्रभार (प्रतिदिन)	प्रस्तावित प्रभार प्रतिदिन (पहले 3 माह के लिए)	प्रस्तावित प्रभार प्रतिदिन (3 माह के पश्चात्)
(i)	मुख्य प्रबंधक स्तर तक के प्रबंधकों के लिए जहाँ दो व्यक्तियों द्वारा एक बैडरूम साझा किया जा रहा हो।	₹10/-	₹50/-	₹100/-
(ii)	उप महाप्रबंधक और ऊपर के स्तर के प्रबंधकों के लिए जहाँ एक पृथक बैडरूम का इस्तेमाल किया जा रहा हो। (यदि अनुपलब्धता के कारण एक कमरा दो व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो प्रभार वही रहेंगे।)	₹10/-	₹100/-	₹200/-

ii. पहली नियुक्ति के समय (उपलब्धता की शर्त पर) अधिकारियों को डॉरमेट्री आवास अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। 6 माह पूरे होने के पश्चात् अधिकारी को डॉरमेट्री आवास खाली करना होगा, ऐसा न करने पर वेतन से मकान किराया भत्ता (एचआरए) काट लिया जाएगा।

iii. स्थानांतरित प्रबंधकों को (उपलब्धता की शर्त पर) डॉरमेट्री आवास अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। 6 माह के पश्चात् कोई डॉरमेट्री सुविधा नहीं दी जाएगी।

iv. उन शाखाओं/उप शाखाओं/कार्यालयों में नव-नियुक्त/स्थानांतरित प्रबंधकों को अपने ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जहाँ एसटीसी के पास डॉरमेट्री सुविधा नहीं है।

v. वर्तमान में उपलब्ध किराए के डॉरमेट्री आवास (कुमिली तथा बोदिनयाकनूर को छोड़कर) पट्टा करार के अनुसार मकान मालिक को नोटिस देते हुए वापिस किए जाएँगे।

vi. नव-नियुक्त/स्थानांतरित प्रबंधकों को डॉरमेट्री सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कोई डॉरमेट्री आवास किराए पर नहीं लिया जाएगा।

vii. एसटीसी के अपने आवासीय फ्लैटों में स्थापित डॉरमेट्री आवास के वर्तमान धारकों को इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से 3 महीने का समय डॉरमेट्री खाली करने के लिए दिया जाता है, ऐसा न करने पर उनको भुगतान किया जाने वाला मकान किराया भत्ता (एचआरए) रोक दिया जाएगा।

viii. डॉरमेट्री आवास सुविधा को आगे जारी रखने के संबंध में 6 माह पश्चात् समीक्षा की जाएगी।

2. इस विषय में अन्य निबंधन व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी.केरकेट्टा)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

<u>ई-मेल द्वारा:</u>

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- निदेशक/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- सभी शाखा प्रबंधक

<u>प्रतिलिपि:</u>

- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट